नृप सिंह नपलच्याल
सचिव

उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
राज्य पुनर्गठन विभाग
फोन (0135) – 2712094
फैक्स (0135) – 2712113

अ0शा0प0सं0: 73 / रा0पु0 / नि0अनु0 / 4 / 2003
देहरादून, दिनांक 28 जून, 2003

कृपया मुख्य सचिव, उत्तरांचल को संबोधित अपने अ0शा0 पत्र संख्या–1171 / 28–1–2003 दिनांक 21 जून, 2003 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें उत्तरांचल एवं उ0प्र0 के मध्य पदों एवं कार्मिकों के बटवारे के सम्बन्ध में उ0प्र0 के निर्णय से यह अवगत कराया गया है कि उत्तरांचल के 13 जनपदों में जनपद एवं मण्डल स्तर के जो भी पद रहे है उत्तरांचल को दे दिये जाय एवं जहाँ उच्चतम् स्तर तक पर्वतीय उपसंवर्ग गठित है उन विभागों को छोड़कर शेष विभागों में मुख्यालय के पदों को 70:13 में बाट दिये जाय अर्थात पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यमान पदों को सामान्यतः 15.66 प्रतिशत पद उत्तरांचल राज्य को दे दिये जाय । यह भी कहा गया है कि पूर्व में पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल शासन के साथ बैठक भी आयोजित की गई थी । इस सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन की ओर से निम्न लिखित तथ्य एवं सही वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा रहा है:

1. जहाँ तक भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2000 के अनुसार एवं राज्य परामर्शीय समिति की बैठकों में हुए विचार विमर्श के अनुसार दोनो राज्यों के मध्य पदो के बटवारे हेतु प्रतिपादित सिद्धान्त का प्रश्न है, सूचनीय है कि राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 02 जुलाई, 2002 को नैनीताल में सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त (उत्तरांचल समन्वय अनुभाग–1 द्वारा पत्र संख्या–884 / 28–1–2002 दिनांक 09 जुलाई, 2002 के माध्यम से जारी) के अनुछेद–3 में जो पदो के विभाजन के सम्बन्ध में है, कहा गया है कि दोनों राज्यों के मध्य पदों के विभाजन सचिव, पुनर्गठन, उत्तरांचल शासन एवं सचिव, उत्तरांचल समन्वय विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा संयुक्त रुप से किया जायेगा । कार्यवृत्त का उक्त अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

Division Of Posts

Director, GOI, clarified that the first step towards allotment of personnel was bifurcation of posts and determination of cadre strength in all the departments.

...2.

Once this was done, the GOI would be in a position to notify these posts. It was decided to take up this matter on a priority basis. The reorganization Secretary, Govt of Uttaranchal and the Seretary, Uttaranchal Samanvaya, Govt Of UP would jointly sit and formulate the cadre-strength within a fortnight and preferably within ten days and put up for consideration in the next meeting.

स्पष्ट है कि पदों का विभाजन दोनों सचिवों के द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर ही किया जाना है ।

2. उपरोक्त निर्णय के क्रम में तत्कालीन सचिव, उत्तरांचल समन्वय विभाग, उ0प्र0 शासन श्री लव वर्मा के साथ लखनऊ में सचिव, पुनर्गठन, उत्तरांचल शासन की बैठक हुई जिसमें फास्टट्रैक में लिये गये विभागों क्रमशः पी0सी0एस0, पी0पी0एस0 एवं एस0एफ0एस0 संवर्गों में पदों का विभाजन पारस्परिक सहमति के आधार पर किया गया।

तत्पश्चात अन्य विभागों में इसी प्रकार सहमति बनाने हेतु देहरादून में दिनांक 20 एवं 21 अगस्त, 2002 को सचिव, पुनर्गठन के कार्यालय कक्ष में बैठक हुई जिसमें सचिव, उत्तरांचल समन्वय श्री वीरेश कुमार की ओर से श्री मो0 सालीम उस्मानी, संयुक्त सचिव, उत्तरांचल समन्वय विभाग, उ0प्र0 शासन ने भाग लिया । तदोपरान्त आपके साथ देहरादून में सचिव, पुनर्गठन के कार्यालय कक्ष में दिनांक 20–21 फरवरी, 2003 को बैठक हुई जिसमें 47 विभागों में उत्तरांचल को आवंटित होने वाले पदों पर सहमति बनाई गई जिन पर उत्तरांचल समन्वय विभाग द्वारा कार्मिकों की सूचियाँ बनवाई जा रही है एवं उत्तरांचल शासन को सहमति हेतु प्रेषित की जा रही है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पदों का विभाजन दोनों राज्यों की सहमति से ही किया जाना है।

3. जहाँ तक पर्वतीय उपसंवर्ग के विभागों का प्रश्न है दोनों राज्यों के मध्य यह तय हो चुका है कि पर्वतीय उपसंवर्ग के सभी पद उत्तरांचल को आवंटित हो जायेंगे एवं इन विभागों में विभागाध्यक्ष के कार्यालय पद सहमति के आधार पर तथा हरिद्वार के लिए सृजित पदों का आवंटन किया जायेगा ।

आपके उक्त पत्र में सूचना विभाग के पदों का उल्लेख किया गया है जिसमें पर्वतीय उपसंवर्ग उच्चस्तर तक गठित होने की बात कही गई है एवं हरिद्वार के पद

तथा उसके सापेक्ष कार्मिकों को देने की बात कही गई है । इस विभाग के लिए पदों के विभाजन का प्रस्ताव उत्तरांचल शासन को अभी तक प्राप्त नही हुए हैं ।

आशा है उपरोक्त वर्णित तथ्यों से वस्तुस्थिति स्पष्ट हो गई होगी एवं पदों का विभाजन तथा उत्तरांचल को आवंटित होने वाले कार्मिकों का आवंटन की कार्यवाही उत्तरांचल शासन के साथ उक्तानुसार सहमति के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी ।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)

डा0 ललित वर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल समन्वय विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

संख्याः 53 (1)/रा0पु0/वि0का0अ0/4/2003, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अध्यक्ष, राज्य परामर्शीय समिति, गेट न0–31, जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम, लोधी रोड, नई दिल्ली ।

2. श्री आर आर प्रसाद, निदेशक (एस आर), कार्मिक एवं पेंशन विभाग, भारत सरकार तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
सचिव, पुनर्गठन ।